रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06122024-259200
CG-DL-E-06122024-259200

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 691] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 5, 2024/ अग्रहायण 14, 1946
No. 691] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 5, 2024/ AGRAHAYANA 14, 1946

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2024

सा.का.नि. 753(अ).— अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उपधारा (2) के खंड (ढ) से (भ) के साथ पठित धारा 21 की उपधारा (1) और (2), धारा 22, धारा 23 की उपधारा (1) और (2), धारा 24 की उपधारा (2), धारा 27 की उपधारा (2), धारा 29 की उपधारा (2), धारा 32 की उपधारा (1), धारा 33 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 7 जून, 2022 को सा.का.नि. 421 (ई) के द्वारा अधिसूचित अंतर्देशीय पोत (पंजीकरण और अन्य तकनीकी मुद्दे) नियम, 2022 में संशोधन करने का प्रस्ताव करती है तथा एतद्वारा अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित रूप से उससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी हेतु प्रकाशित करती है; और एतद्वारा द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त मसौदा नियमों पर उस तारीख से तीस दिन की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा, जिस तारीख को इस अधिसूचना की प्रतियां, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित रूप में, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं;

इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, तो निदेशक (आईडब्ल्यूटी), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, कमरा संख्या 547, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को या ईमेल द्वारा ajay.sirohi@nic.in और uttam.mishra27@gov.in पर ऊपर निर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजे जा सकते हैं;

संशोधित मसौदा

1. 1) इन नियमों को अंतर्देशीय पोत (पंजीकरण और अन्य तकनीकी मुद्दे) (प्रथम संशोधन) नियम, 2024 कहा जा सकता है।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में अपने अंतिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. अंतर्देशीय पोत (पंजीकरण और अन्य तकनीकी मुद्दे) नियम, 2022 ((जिसे यहां इसके बाद उक्त नियम कहा जाएगा) में, नियम 3 के खंड (ग) के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:, स्थापित किया जाएगा, अर्थात् –

"स्पष्टीकरण. - इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, 24 मीटर से अधिक के पोतों के सकल टन भार की गणना जहाजों के टन भार माप पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, 1969 के अनुसार की जाएगी, जबकि 24 मीटर से कम के पोतों के सकल टन भार की गणना व्यापारिक नौवहन (पोतों के टन भार माप) नियम, 1991 के नियम 2 के अनुसार की जाएगी।"

3. नियम 4 में, शब्द और संख्या "इन नियमों के नियम 7" के स्थान पर शब्द, संख्या और कोष्ठक "इन नियमों के नियम 5 के उप-नियम (1)" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

4. उक्त नियम के नियम 5 के उपनियम (1) में, -

i. खंड (ई) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(ई) मालिक या मास्टर द्वारा स्वयं सत्यापित बिक्री के दस्तावेज की प्रति जिसके तहत पोत का स्वामित्व आवेदक को हस्तांतरित किया गया था, जो चाहता है कि यह उसके नाम पर पंजीकृत हो (सेकंड हैंड जलयान के लिए);"।

ii. खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(च) स्वामी या मास्टर द्वारा स्व-सत्यापित सर्वेक्षण प्रमाणपत्र की प्रति, यदि वह निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो या सर्वेक्षक द्वारा जारी अनंतिम सर्वेक्षण प्रमाणपत्र;"।

5. उक्त नियम के नियम 6 के उपनियम (1) में निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1) यदि किसी अंतर्देशीय यंत्रचालित जलयान के संबंध में पंजीकरण प्राधिकारी, नियम 5 के अधीन अपेक्षित जांच करने के पश्चात् संतुष्ट है कि अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंधों का अनुपालन किया गया है, तो वह आवेदक को इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप 8 में पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करेगा, जिसमें सर्वेक्षण प्रमाणपत्र या अनंतिम सर्वेक्षण प्रमाणपत्र, बिल्डर प्रमाणपत्र, जलयान को बेचने के लिए स्वामी या मास्टर द्वारा स्व-प्रमाणित विक्रय लिखत और स्वामित्व की घोषणा की प्रतियां सुरक्षित रखी जाएंगी।"

6. उक्त नियम के नियम 8 के उपनियम (3) में निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3) पहचान चिह्न को गहरे रंग की पृष्ठभूमि पर हल्के रंग में या हल्के रंग की पृष्ठभूमि पर गहरे रंग में उकेरा या चिह्नित या वेल्ड किया जाएगा और इसका आकार इस प्रकार होगा:

(क) 20 मीटर से अधिक लंबाई वाले जलयानों के लिए, चिह्न का आकार 200 मिमी x 150 मिमी (ऊंचाई x चौड़ाई) से कम नहीं होगा, जिसमें प्रत्येक अक्षर 25 मिमी चौड़ा होगा।

(ख) 10 मीटर से 20 मीटर के बीच की लंबाई वाले जलयानों के लिए, चिह्न का आकार 150 x 120 मिमी (ऊंचाई x चौड़ाई) से कम नहीं होगा, जिसमें प्रत्येक अक्षर 25 मिमी चौड़ा होगा।

(ग) 5 मीटर से 10 मीटर के बीच की लंबाई वाले जलयानों के लिए, चिह्न का आकार 100 मिमी x 75 मिमी (ऊंचाई x चौड़ाई) से कम नहीं होगा, जिसमें प्रत्येक अक्षर 20 मिमी चौड़ा होगा।

(घ) 5 मीटर से कम लंबाई वाले जलयानों के लिए, चिह्न का आकार 50 मीटर x 40 मिमी ऊंचाई x चौड़ाई से कम नहीं होगा, जिसमें प्रत्येक अक्षर 15 मिमी चौड़ा होगा।

7. उक्त नियमों के प्ररूप 2 में, क्रम संख्या 9 में -

i. क्रम संख्या (घ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"घ) नए जलयानों के लिए मालिक या मास्टर द्वारा स्वयं सत्यापित बिल्डर के प्रमाण पत्र की प्रति;".

ii. क्रम संख्या (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"ङ) मालिक या मास्टर द्वारा स्वयं सत्यापित बिक्री विलेख की प्रति (सेकेंड हैंड जलयानों के लिए);"

8. उक्त नियमों के प्ररूप 12 में, क्रम संख्या 8 में -

i. क्रम संख्या (घ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"घ) नए जलयानों के लिए मालिक या मास्टर द्वारा स्वयं सत्यापित बिल्डर के प्रमाण पत्र की प्रति;".

ii. क्रम संख्या (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"ङ) मालिक या मास्टर द्वारा स्वयं सत्यापित बिक्री विलेख की प्रति (सेकेंड हैंड जलयानों के लिए);".

[फा. सं. आईडब्ल्यूटी-11011/91/2021- आईडब्ल्यूटी (7)]

डॉ. कमला कांत नाथ, सलाहकार (सांख्यिकी)

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 2024

G.S.R. 753(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 21, section 22, sub-sections (1) and (2) of section 23, sub-section (2) of section 24, sub-section (2) of section 27, subsection (2) of section 29, sub-section (1) of section 32, sub-sections (2) of section 33 read with clauses (n) to (x) of sub-section (2) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021), the Central Government proposes to amend the Inland Vessels (Registration and other Technical Issues) Rules, 2022 notified by the Government of India in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways vide number G.S.R. 421(E) dated the 7th June, 2022 and hereby publish as required by sub-section (1) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021) for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the

date on which the copies of this notification, as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, to these draft rules may be sent to the Director (IWT), Ministry of Ports, Shipping & Waterways, Room No. 251, Transport Bhawan, 1-Parliament Street, New Delhi-110001, or by email at ajay.sirohi@nic.in and uttam.mishra27@gov.in within the period specified above;

Draft Amendment

1. 1) These rules may be called as the Inland Vessels (Registration and other Technical Issues) (First Amendment) Rules, 2024.
   (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Inland Vessels (Registration and Other Technical Issues) Rules, 2022 ((hereinafter referred to as the said rules), after the clause (c) of rule 3, the following explanation shall be inserted, namely. -
   "Explanation. - For the purpose of this sub-rule, Gross Tonnage of vessels above 24 meters shall be calculated according to International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969 whereas Gross Tonnage of vessels less than 24 meters shall be calculated according to Rule 2 of the Merchant Shipping (Tonnage Measurement of Ships) Rules, 1991."

3. In rule 4, for the word and number "Rule 7 of these Rules", the words, number and brackets "sub-rule (1) of rule 5 of these rules" shall be substituted.
4. In rule 5 of the said rules, in sub-rule (1). -
   i. for clause (e), the following sub-rule shall be substituted, namely. -
      "(e) copy of the instrument of sale self-attested by the owner or master under which the title of the vessel was transferred to the applicant who requires it to be registered in his name (for second hand vessel);".
   ii. for clause (f), the following sub-rule shall be substituted, namely. -
      "(f) copy of certificate of survey self-attested by the owner or master if issued by the designated authority or the provisional certificate of survey issued by the Surveyor;".

5. In rule 6 of the said rules, in sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely. -
   "(1) If, in respect of any inland mechanically propelled vessel, the registering authority, after making such enquiry as required under rule 5, is satisfied that the provisions of the Act or of any rules made thereunder have been complied with, shall grant to the applicant thereof a certificate of registration in Form No. 8 appended to these rules retaining the copies of the certificate of survey or provisional certificate of survey, builders certificate, instrument of sale by which the vessel was sold self-attested by the owner or master, and the declaration of ownership."

6. In rule 8 of the said rules, in sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely. -

   "(3) The identification mark shall be carved or marked or welded in light colour on a dark background or in a dark colour on a light background and its size shall be as follows:

(a) For vessels of length more than 20 meters, the size of the mark shall not be less than 200mm x 150mm (height x breadth) with each letter 25mm wide.
(b) For vessels of length between 10 metres and 20 meters, the size of the mark shall not be less than 150 X 120 mm (height x breadth) with each letter 25mm wide.
(c) For vessels of length between 5 metres and 10 metres, the size of the mark shall not be less than 100mm X 75 mm (height x breadth) with each letter 20 mm wide.
(d) For vessels of length less than 5 metres, the size of the mark shall not be less than 50m x 40 mm height x breadth) with each letter 15mm wide."

7. In Form 2 of the said rules, in serial no 9. -
   i. For serial number (d), the following shall be substituted, namely. -
   "d) copy of builder's certificate for new vessels self-attested by the owner or master;".
   ii. For serial number (e), the following shall be substituted, namely. -
   "e) copy of instrument of sale self-attested by the owner or master (for second hand vessels);".
8. In Form 12 of the said rules, in serial no 8. -
   i. For serial number (d), the following shall be substituted, namely. -
   "d) copy of builder's certificate for new vessels self-attested by the owner or master;".
   ii. For serial number (e), the he following shall be substituted, namely. -
   "e) copy of instrument of sale self-attested by the owner or master (for second hand vessels);".

[F. No. IWT-11011/91/2021-IWT(7)]
Dr. KAMALA KANTA NATH, Adviser (Statistics)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2024.12.06 14:17:09 +05'30'